राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	147/2020 नाथूलाल / श्रीनारायण वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/20	दिनांक 17/11/2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक़ खातेदारी,इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमाँ एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 401 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा। छोटू पुत्र गोपाल हिस्सा ½ खतौनी बदोबस्ती संवत 2015-2034 ग्राम भम्भोरी, तहसील व जिला जयपुर कि खातेदारी का अंकन प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके पिता के नाम गलत इन्द्राज किया गया है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बराबर-बराबर हिस्से के हक़ अधिकारी है। खसरा नम्बर 140 रकबा 10 बिस्वा, 141 रकबा 1 बीघा 8 बिस्सा, 146 रकबा 12 बिस्वा, 148 रकबा 6 बिस्वा, 149 रकबा 1 बीघा 4 बिस्सा,195 रकबा 6 बिस्वा, 197 रकबा 1 बीघा 12 बिस्सा, 542 रकबा 15 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा छोटू पुत्र गोपाल को बागड़ा ब्राह्मण के नाम खतौनी बंदोबस्ती संवत 2015-2034 ग्राम भम्भोरी, तहसील व जिला जयपुर कि खातेदारी का अंकन प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके पिता के नाम गलत इन्द्राज किया गया है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बराबर-बराबर हिस्से के हक़ अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छोटू जिनका स्वर्गवास हो चूका है का एक नामान्तरण संख्या 72 को सरपंच ग्राम पंचायत भम्भोरी से स्वयं को छोटू पुत्र गोपाल को दत्तक पुत्र होना जाहिर कर नामान्तरण अपने नाम खुलवा लिया। वादीगण के दादा रामू के दो जायन्दा पुत्र चुन्या व छोटूलाल उर्फ़ छोटू थे। वादीगण चुन्या के पुत्र व पोत्र है। छोटू पुत्र रामू अन्य परिवार छोटू पुत्र गोपाल की सम्पति को हडपने के लिए स्वयं को छोटू पुत्र गोपाल का दत्तक पुत्र बताकर उक्त नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया। जिससे निरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं विधिवत तकासमाँ किया जाकर वादीगण का खाता अलग कायम किया जावे एवं	

अपील प्राधिकारी जयपुर (रा...)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथूलाल / श्रीनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो ... हुक्म की तामील में जारी हुए
147/2020	2	

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने वाद में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी एवं धारा 151 सीपीसी मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 140,141,146,148,149,195,197,542 रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 400,401 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम भम्भोरी के 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार छोटू रहे।प्रार्थी/प्रतिवादी को उक्त आराजी विरासत में जरिये नामान्तरण संख्या 203 दिनांक 14/06/1981 से प्राप्त हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि नामान्तरण संख्या 72 विधिवत जाँच किया जाकर प्रार्थी के पिता छोटू के नाम से तस्दीक किया गया था। जिसे वादीगण व उसके हक़ पूर्व अधिकारी चुन्या द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई एवं इस कारण वादीगण उनके कृत्य से कानूनन एस्टोप्ड है।प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया है की प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि राजस्व न्यायालय को दत्तक के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय करने एवं सुनवाई करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है साथ ही निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 72 के आधार पर अंकित रिकार्डेड खातेदार काश्तकार छोटू दत्तक पुत्र छोटू का इतने लम्बे अर्से बाद वादीगण के पूर्वजो के कार्यकाल में ही चुनौती नही दी गई तो अब वादीगण को इसे चुनौती देने के लिए कोई वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ है। वेसे भी मृत व्यक्ति के विरासत एवं दत्तक होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही होने से दावा बार्ड बाई ला होने से प्राथमिक स्टेज पर ही ख़ारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया फौती नामान्तरण खुलने के पश्चात प्रतिवादी उस पर अपने पिता की जगह काबिज रहकर काश्त कर रहा है एवं वादीगण को विवादित भूमि पर कब्जा ही नही है , कानूनन घोषणा के बाद में वादीगण का कब्जा होना निहायत जरूरी है, इस कारण कब्जे के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
147/2020	नाथूलाल / श्रीनारायण 3	

अभाव में पेश किया गया वाद मौजूदा स्वरूप में संधारित योग्य नही होने से ख़ारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुये वादीगण अपिलांट द्वारा मुख्य रूप से अंकित किया गया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है, इसलिये कब्जा कोई महत्व नही रखता है, वाद कारण के सम्बन्ध में उनका कथन है कि वादीगण/अपीलांट के पूर्वज चुन्या पुत्र रामू को राजस्व रिकार्ड का ज्ञान नही था। वादीगण के पिता को नामान्तरण संख्या 72 की जानकारी नही हुई। ना वादीगण को थी। इसलिये एस्टोपल का सिद्वांत लागु नही होता , ना ही आगे 7 नियम 11 के तत्व है अत: प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सारहीन होने ख़ारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 04/03/2020 के माध्यम से जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के क्लोज क एवं घ में वर्णित बिन्दुओ के आधार पर वाद चलने योग्य नही होना धारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद ख़ारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वादीगण/अपिलाट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सजरा खानदान की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रशनगत आराजी जिसके सन्दर्भ में विवाद है, स्वर्गीय गोपाल पुत्र काना की खाते की आराजीयात थी। गोपाल की मृत्यु के पश्चात उसके खाते की आराजीयात उसके जीवित रहे पुत्र छोटू के खाते में आई एवं छोटू की मृत्यु के पश्चात चूँकि छोटू के कोई जायन्दा औलाद नही थी, अत: उसके चचेरे भाई रामू के दौ पुत्र चून्या व छोटीलाल को वापिस प्राप्त होनी थी किन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथूलाल / हीरालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
147/2020	4	

छोटीलाल ने साज कर स्वयं को छोटू पुत्र गोपाल का पुत्र दर्ज कराते हुये छोटीलाल ने छोटू के खाते की आराजीयात अपने नाम दर्ज करा ली। रेस्पो. संख्या 1 व 2 छोटीलाल के वारिसान है, इसी प्रकार अपीलार्थीगण के पिता व दादा चून्या की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण उसके वारिसान है, इस वजह से अपीलार्थीगण स्व.छोटू पुत्र गोपाल की खाते की आराजीयात में से ½ आराजी के सहखातेदार होने चाहिये किन्तु छोटीलाल पुत्र रामू ने छोटू पुत्र गोपाल के पुत्र बनकर उसके खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में नामान्तरण संख्या 72 दिनांक 01/01/1964 को अपने नाम खुलवा लिया एवं उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम प्रशनगत आराजी के सन्दर्भ में दर्ज करवा लीया, जो वादी/अपीलान्ट्स के हको के विरुद्ध कराये गये इन्द्राज है जिसकी दुरुस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत इस्तकरारहक़ , इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमाँ एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा एक आधारहीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसका जवाब भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट्स कि और से प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आदेश पारित कर वादी का वाद चलने योग्य नही होना धारित करते हुये ख़ारिज कर दिया गया। उक्त वाद ख़ारिज करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई वजह अंकित नही की गयी। जबकी स्पष्ट रूप से वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना जाकर उसके अधिकारों को विनिश्चिकरण किया जाना चाहिये था। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में सी सी सी 2017(4) पृष्ठ संख्या 723, सी सी सी 2018(2) पृष्ठ संख्या 176, RRT 2003(1) पृष्ठ संख्या 633, RRD 2001 पृष्ठ संख्या 242, DNJ (SC) 2008 पृष्ठ संख्या 9, RRD 1998 पृष्ठ संख्या 386 उद्धरित करते हुये बहस में निवेदन किया कि वाद में उठाये गये वादकारण को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के माध्यम से तय नही किया जा सकता, ना ही वाद के सम्पूर्ण वाद बिन्दुओ पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
147/2020	नाथूलाल / श्रीनारायण 5	

गौर किये बगैर वाद को ख़ारिज किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपने सरसरी तौर पर पारित आदेश जैर अपील के माध्यम से वादी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद को ख़ारिज कर दिया गया है, को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर वाद का निस्तारण किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28/10/2020 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की और से आदेश 41 नियम 27 के तहत दस्तावेजात को न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर लिया गया है। उक्त दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत राजीनामा की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया की उक्त राजीनामा छोटू पुत्र गोपाल गौद पुत्र छोटू, श्रीनारायण पुत्र छोटू जाति बागडा ब्राह्मण ग्राम भम्भौरी तहसील जयपुर बतौर प्रथमपक्ष एवं नाथू पुत्र चुना, नारायण पुत्र चूना, गौपाल पुत्र चूना बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम भम्भौरी बतौर द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया, जिसमे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि दोनों पक्षों के मध्य जमीन बाबत झगड़े व मुकदमे चल रहे है, उक्त राजीनामे में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी/रेस्पो. के पिता को छोटू का गौद पुत्र अंकित किया गया है, जिसकी सहमती के बतौर नाथूलाल व नारायणलाल वादी/अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे स्पष्ट रूप से वादी/अपीलान्ट्स को प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स के पिता का छोटू पुत्र गौपाल का गौद पुत्र होने का ज्ञान पूर्व से ही था। इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 के पैरा नम्बर-3 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण की और से उक्त प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स के पिता छोटू के नाम छोटू पुत्र गौपाल की आराजीयात का अंकन छोटू पुत्र गौपाल के दत्तक पुत्र होने की वजह से विरासत के नामान्तरण संख्या 72 दिनांक 01/01/1964 के द्वारा हुआ है। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथूलाल / डीनारायण

तारीख हुक्म	147/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी/अपीलान्ट्स की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसके पैरा नम्बर तीन में वादी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का छोटू पुत्र गौपाल का गौद पुत्र होने से ईन्कार किया है जबकी राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट्स के पिता का नाम छोटू पुत्र गौपाल के गौद पुत्र के बतौर अंकन है क्युकी राजस्व न्यायालय को गौद के सन्दर्भित बिन्दु के निस्तारण का अधिकार नही होकर मात्र दीवानी न्यायालय को ही इस बिन्दु के निस्तारण का अधिकार है। अतः यदि वादी/अपीलाट्स को प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट्स के पिता के गौद पुत्र होने के सन्दर्भ में कोई आपत्ति थी तो राजस्व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दीवानी न्यायालय से इस सन्दर्भ में आदेश प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट्स के पिता का गौद पुत्र नही होने के सन्दर्भ में आदेश प्राप्त करना चाहिये था। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा आर.आर.डी. 2001 पृष्ठ संख्या 454 उद्वरित की। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में यह भी निवेदन किया कि वादी/अपीलाट्स का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आधार पर भी संधारणीय नही था कि वाद प्रस्तुतीकरण के दिन वादी/अपीलाट्स प्रशनगत आराजी पर काबिज काश्त नही थे जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट था। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु कोई अनुतोष नही चाहा गया है, जिसके अभाव में वादी का वाद संधारणीय नही था। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा आर.एल.आर. 1982 पृष्ठ संख्या 1001, 2017(2), आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 1074, आर.बी.जे 1998 पृष्ठ संख्या 218, आर.बी. जे 1999 पृष्ठ संख्या 466, 2017(2), आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 1004, आर.आर.टी 2011(2) पृष्ठ संख्या 1170, आर. बी. जे 1994 पृष्ठ संख्या 122, आर. बी. जे 1995 पृष्ठ संख्या 669, ऐ. आई.आर 1994 पृष्ठ संख्या 853 उद्वरित करते हुये बहस में निवेदन किया कि वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उनके अन्य सयुक्त खाते की आराजीयात एवं वाद में विवादित आराजीयात में से आराजीयात का बैचान अन्य क्रेतागण को किया जा चूका है, जिनके हक़ में उक्त बैचान के पश्चात राजस्व रिकार्ड में उनके नाम का अंकन भी	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

हो चूका है किन्तु उन्हें पक्षकार वाद नही बनाया गया, जिनके अभाव में भी वादी का वाद संधारणीय नही था, अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादीगण की और से आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद संधारणीय नही होना धारित किया जाकर ख़ारिज किया गया है, वह विधिअनुरूप होने से अपील ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलियो एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का मनन किया। विचाराधीन प्रकरण में प्रशनगत आराजीयात वे है जो कि पूर्व में छोटीलाल पुत्र रामू के नाम छोटू पुत्र गौपाल की आराजीयात का इन्द्राज हुआ। वादीगण/अपीलाट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद इस आधार पर लेकर आये है कि उक्त आराजीयात का इन्द्राज छोटीलाल के हक़ में बतौर दत्तक पुत्र छोटू पुत्र गौपाल का दर्ज किया गया है,वह गलत इन्द्राज है, उसे दुरुस्त फरमाया जावे एवं आधे हिस्से की आराजीयात हेतु वादीगण/अपीलाट्स का नाम दर्ज किया जाकर तदनुसार तकासमाँ किया जावे। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत हुआ, जिसमे प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण के पिता छोटू के नाम छोटू पुत्र गौपाल के खाते की आराजीयात का अंकन दत्तक पुत्र होने के नाते जरिये नामान्तरण संख्या 72 दिनांक 01/01/1964 को यानि लगभग 48 वर्ष पूर्व हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अप्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमे वादीगण/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादी के पिता का छोटू पुत्र गौपाल के कभी गौद नही जाने का अंकन किया है, किन्तु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत राजीनामे से यह स्पष्ट होता है कि वादी\गण/अपीलान्ट्स को प्रतिवादी/रेस्पो. के पिता छोटू का छोटू पुत्र गौपाल का गौद पुत्र होने का ज्ञान पूर्व से ही था, जिससे स्पष्ट रूप से प्रकरण में गौद का बिन्दु विधमान है एवं चूँकि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
147/2020	नाथूलाल / श्रीनारायण 8	

पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर गौद पुत्र प्रशनगत आराजीयात के सन्दर्भ में अंकित है एवं वादीगण को उक्त गौद पुत्र होने से आपत्ति है एवं चूँकि गौद के बिन्दु पर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर दीवानी न्यायालय को है | ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलाट्स को गौद के बिन्दु को दीवानी न्यायालय से निस्तारित कराने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार हो सकता है | इसके अतिरिक्त वादीगण/अपीलाट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत इस्तकरारहक़, इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमाँ एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जबकी राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रशनगत आराजी पर वादी\गण का काबिज होना साबित नही होता है | अत: कब्जे के अभाव में भी वादी का वाद संधारणीय नही रहता | इसके अतिरिक्त प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रशनगत आराजी का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अन्य व्यक्तियों को किया जा चूका है जिनके हक़ में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 1956 से 1959 इत्यादि में अंकन भी हो चूका है, ऐसे रिकार्डेड क्रेतागण को वाद में पक्षकार समायोजित नही किये जाने से भी आवश्यक पक्षकारो के अभाव में भी वादी का वाद प्रथमद्रष्टया संधारणीय नही रहता है |

उपरोक्त समस्त बिन्दुयो की वजह से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर जो वादी का वाद संधारणीय नही होने से ख़ारिज किया गया है, वह आदेश उचित प्रतीत होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04/03/2020 यथावत रखा जाता है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	147/2020 नाथूलाल / श्रीनारायण 9	

निर्णय आज दिनांक 18/11/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर